बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 400368 पटना, दिनांक 07/12/18

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(जिला पृच्छा)-102-58/2017

प्रेषक,

कँवल तनुज, भा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
रोहतास ।

विषय :- **लाभुक के अवयस्क रहने की स्थिति में उनके माता-पिता को आवास का लाभ देने के संबंध में ।**

प्रसंग :- आपका पत्रांक-1830 दिनांक-29.08.18

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा लाभुक श्री लल्लू डोम, ग्राम पंचायत-राजनडीह के अवयस्क रहने तथा उनके माता-पिता का नाम SECC 2011 की सूची में दर्ज नहीं रहने एवं पूर्व में आवास रहने के योजना का लाभ नहीं मिलने की स्थिति में विभाग को सूचित करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ देने के संबंध में मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है ।

विदित है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत सामान्य पृच्छा बिन्दु जो विभागीय पत्रांक-27 दिनांक-24.10.17 (प्रति संलग्न) से जारी किये गये हैं की कंडिका-5 एवं 6 में स्पष्ट किया गया है, "ऐसे मामलों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जाँच कर परिवार के सदस्यों के नामों को शामिल करने को प्रमाणित करेंगे । प्रमाण के रूप में जॉब कार्ड जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम होते हैं, को भी आवास सॉफ्ट पर अपलोड किया जायेगा । यदि परिवार का मुखिया जीवित है, तो उन्हें भी पहले परिवार के सदस्यों के नाम प्रमाणित करने होंगे जिन्हें अपलोड किया जायेगा । इस उद्देश्य के लिए Awaas App + के माध्यम से परिवार के सदस्यों का नाम प्रमाणित कर आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने हेतु मॉडयुल उपलब्ध है" ।

अत: लाभार्थी का परिवार यदि योजना लाभ प्राप्त करने हेतु विहित शर्तो को पूरा करता है तो उपर्युक्त वर्णित पत्र में निर्धारित प्रावधानों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(कँवल तनुज) 5/12
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 400368 पटना, दिनांक 07/12/18

प्रतिलिपि- सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव
5/12

D:\SECTION -5 BACKUP\D Drive\Mukesh\IAY 2432.doc

(124)

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांकः- 27 पटना, दिनांकः- 24-10-17

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(जिला पृच्छा)-102-58/2017

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषयः- **प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत लाभुकों के चयन हेतु जिलों द्वारा की गई पृच्छाओं के समाधान के संबंध में ।**

प्रसंग :- भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्रांक-J-11012/1/2017-RH दि0-18.09.17

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत लाभुकों के चयन में आ रही कठिनाईयों के संबंध में विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है । कुछ सामान्य पृच्छाएँ एवं उनका समाधान पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से मंतव्य प्राप्त किया गया है, जो निम्नवत है :-

बिन्दु	विषय	समाधान
1.	क्या लाभुक (घर का मुखिया) की मृत्यु हो जाने पर पति/पत्नी को लाभान्वित किया जा सकता है ?	पति या पत्नी, जिनका नाम SECC Databse में है, उनको लाभ दिया जा सकता है ।
2.	क्या लाभुक (घर का मुखिया) पति तथा पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाने पर, अन्य आश्रितों को लाभान्वित किया जा सकता है ?	परिवार के आश्रित सदस्य, जिनका नाम SECC Databse में है, उनको लाभ दिया जा सकता है ।
3.	क्या लाभुक (घर का मुखिया) पति तथा पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाने पर, अव्यस्क बच्चों को लाभान्वित किया जा सकता है ?	अव्यस्क बच्चों, जिनके नाम SECC की सूची में प्रदर्शित हो रहे हैं, के नाम पर अभिभावक, ब्लॉक/ पंचायत स्तर के अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से जाँच करके लाभ दिया जा सकता है ।
4.	अस्थायी पलायन	परिवार के किसी अन्य सदस्य को SECC सूची के अनुसार मकान की स्वीकृति की जा सकती है । अन्यथा इसे स्थायी प्रतीक्षा सूची में अगले लाभार्थी को प्रदान किया जा सकता है परन्तु यह उस वर्ष की वार्षिक चयन सूची से परे नहीं किया जा सकता है ।

123

बिन्दु	विषय	समाधान
5.	ड्राप डाउन बॉक्स में चयनित परिवार के सदस्यों के नाम प्रदर्शित होने के स्थान पर Unknown प्रदर्शित हो रहा है ।	ऐसे मामलों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जाँच कर परिवार के सदस्यों के नामों को शामिल करने को प्रमाणित करेंगे । प्रमाण के रूप में जॉब कार्ड जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम होते हैं, को भी आवास सॉफ्ट पर अपलोड किया जायेगा । यदि परिवार का मुखिया जीवित है, तो उन्हें भी पहले परिवार के सदस्यों के नाम प्रमाणित करने होंगे जिन्हें अपलोड किया जायेगा । इस उद्देश्य के लिए आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने हेतु मॉडयुल उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है ।
6.	ड्राप डाउन बॉक्स में चयनित परिवार का नाम Match नहीं हो रहा है ।	
7.	लाभार्थियों के पास भूमि नहीं है ?	इस संबंध में सभी वास विहीन परिवारों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अभियान बसेरा के तहत वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्रांक-745 दिनांक-01.0917 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया गया है । भूमि उपलब्ध होने में देरी होने की स्थिति में, वार्षिक चयन सूची में अगले स्थान पर लाभार्थी को स्वीकृति प्रदान की जा सकती है परन्तु यह वार्षिक चयन सूची से परे नहीं जा सकता, जो उस ग्राम पंचायत का उस वर्ष हेतु लक्ष्य है । इस लाभार्थी का नाम तब तक पॉप अप (pop up) होता रहेगा जबतक उन्हें स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती ।
8.	क्या अ0ज0/अ0ज0जा0 श्रेणी में प्रदर्शित होने वाले सामान्य तथा अल्पसंख्यक परिवारों को आवास स्वीकृत किया जा सकता है ?	चूँकि वर्तमान में SECC आँकड़ों में बदलाव करने का कोई प्रावधान नहीं है, अत: इसके तहत आवास स्वीकृत किया जा सकता है ।
9.	क्या सामान्य तथा अल्पसंख्यक श्रेणी में प्रदर्शित होने वाले अ0ज0/अ0ज0जा0 परिवारों को आवास स्वीकृत किया जा सकता है ?	चूँकि वर्तमान में SECC आँकड़ों में बदलाव करने का कोई प्रावधान नहीं है, अत: इन लाभार्थियों को सामान्य श्रेणी के अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकता है ।

अत: उपर्युक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करते हुए इससे सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भी अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन

20/10/2017

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव